

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 1514 वर्ष 2020

बाल गोविंद मोदी

... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, कोडरमा
3. जिला निर्वाचन अधिकारी, कोडरमा
4. कार्यपालक अधिकारी, नगर निगम, झुमरी तेलैया, कोडरमा
5. चुनाव अभिकर्ता, नगर निगम, झुमरी तेलैया
6. प्रखण्ड स्तरीय अधिकारी, नगर निगम, झुमरी तेलैया
7. बिगन नयन, प्रखण्ड स्तरीय अधिकारी, नगर निगम, झुमरी तेलैया, कोडरमा
8. संध्या वर्णवाल, प्रखण्ड स्तरीय अधिकारी, नगर निगम, झुमरी तेलैया, कोडरमा
9. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, द्वारा सचिव, निर्वाचन भवन, रातू रोड, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री एच0के0 शिकरवार, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 1 से 3 के लिए:

श्री श्रीणु गड़पति, एस0सी0—III

उत्तरदाता सं० 4 से 6 के लिए: श्री भारत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं० 9 के लिए: डॉ० अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

03/04.01.2021 यह रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

श्री हेमंत कुमार शिकरवार के अनुरोध पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में अपने सचिव, निर्वाचन भवन, रातू रोड, रांची के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग, झारखण्ड को निहित करने की अनुमति है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के फैलने के कारण प्रचलित वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका के कारण शीर्षक में आवश्यक प्रविष्टि करें।

डॉ० अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और नए जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से नोटिस माफ करते हैं।

वर्तमान रिट याचिका, झुमरी तेलैया नगर परिषद् की मतदाता सूची को प्रकाशित करने के लिए प्रतिवादी-अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने उचित सर्वेक्षण करने और विशेष रूप से वार्ड संख्या 23 के संबंध में मतदाता सूची में उचित सुधार करने के लिए भी प्रार्थना की है, जैसा कि याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त नगरपालिका परिषद् में वार्डों के परिसीमन हेतु बिना कदम उठाये "गैस गोदाम गली, झुमरी तेलैया" को वार्ड संख्या 24 का हिस्सा बनाया जा रहा है।

श्री भारत कुमार, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है और राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 538 के तहत उक्त शक्ति निहित है, और याचिकाकर्ता के पास राज्य चुनाव आयोग, झारखण्ड के समक्ष वर्तमान विवाद को लाने का प्रभावी उपाय है।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्ता को वर्तमान मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के समक्ष एक आवेदन देने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 9 उचित अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर उचित निर्णय लेगा।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)